राज पाल *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(जी. एस. सिंघवी, न्यायमूर्ति)

जी.एस. सिंघवी और एम.एल. सिंघल न्यायमूर्ति के समक्ष
राज पाल और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाता।

सी.डब्ल्यू.पी. 1996 *की सं.* 3080,

18 अक्टूबर, 1996।

भारत का संविधान, 1950 - *अनुच्छेद* 14 और 16 - *हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और नलकूप निगम लिमिटेड कर्मचारी सेवा (उप-नियम, आईएसओ- भाग 5,* पैरा 5.1 - संशोधित वेतनमानों का *लाभ प्रदान* करना - एचएमआईटीसी के निदेशक मंडल ने 1 मई, 1990 से संशोधित यंय वेतनमानों को लागू करने का संकल्प लिया - *तथापि, बोर्ड द्वारा 11 मार्च, 1992 को अनुमोदित संकल्प - तथापि, कार्यान्वयन से पूर्व औपचारिक अनुमोदन के लिए अपने निर्णय को लोक उद्यम ब्यूरो की स्थायी समिति को भेजना - ब्यूरो द्वारा 1 अक्तूबर, 1992 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करना - सरकार ने निगम को 1 मई, 1990 से* नहीं बल्कि *7 अक्तूबर, 1992 से वेतनमानों में संशोधन करने का निदेश दिया -* विभिन्न निगमों के कर्मचारियों को 1 मई, 1992 *से वेतनमान प्रदान किए गए।* 1990- *कट ऑफ तारीख को चुनौती देने के लिए दायर रिट याचिका में भेदभाव की दलील - तारीख के निर्धारण के लिए प्रस्तावित बचाव 1 अक्टूबर, 1992 को आयोजित अपनी बैठक में ब्यूरो द्वारा संशोधित वेतनमानों के अनुमोदन की तारीख थी - दिनांक का* निर्धारण *7 अक्टूबर, 1992 यह मनमाना और अनुचित है, इसलिए समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है- न्यायालय ने तारीख को मनमाना घोषित किया और इसे 1 मई,* 1990 के लिए प्रतिस्थापित किया।

अभिनिर्धारित किया कि निगम की सेवा में तकनीकी पदों के धारकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख के रूप में 7 अक्टूबर, 1992 के निर्धारण को उचित ठहराने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत एकमात्र कारण यह है कि यह वह दिन है जिस दिन सार्वजनिक उद्यम ों पर स्थायी समिति ने संशोधित लाभ का विस्तार करने के लिए प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल द्वारा किए गए प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया था। निगम के कर्मचारियों को वेतनमान। प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख निर्धारित करने के लिए कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। प्रतिवादियों ने इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि निगम की सेवा में तकनीकी पदों के धारकों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के उद्देश्य पर 7 अक्टूबर, 1992 का कोई प्रभाव कैसे पड़ा है। इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में और इस तथ्य के अभाव में कि अन्य निगमों में समान पदों पर रहने वाले कर्मचारियों को 1 मई 1990 से संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है, हम

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की इस दलील में पर्याप्त दम पाते हैं कि तारीख 7 अक्टूबर, 2019 1992 न केवल मनमाना है, बल्कि पूरी तरह से तर्कहीन है।

(पैरा 8)

अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान मामले में जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम हैं कि उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख का निर्धारण मनमाना या उचित निशान से व्यापक है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम उल्लेख कर सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमान के लाभ का दावा इस आधार पर किया है कि अतीत में उनके वेतनमान हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के समान संशोधित किए गए हैं और इस आधार पर भी कि संशोधित वेतनमान का लाभ 1 मई 1990 से अन्य सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को दिया गया है। . प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 1992 निर्धारित करने का एकमात्र कारण यह है कि लोक उद्यम संबंधी स्थायी समिति की बैठक 7 अक्तूबर, 1992 को हुई थी जिसमें तकनीकी पदों पर आसीन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का लाभ देने के लिए प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार किया गया था। प्रतिवादियों द्वारा यह नहीं कहा गया है कि निगम वित्तीय तंगी या किसी अन्य व्यावहारिक कारण के कारण 1 मई, 1990 से याचिकाकर्ताओं की तरह कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का भुगतान करने में असमर्थ है। इस तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि 7 अक्टूबर, 1992 के रूप में तारीख का निर्धारण, याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से व्यापक है और यह पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है। प्रतिवादियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अन्य निगमों के कर्मचारियों को 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया है और पिछले सभी अवसरों पर प्रतिवादी-निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित वेतनमान दिए गए हैं। एक विशेष तारीख पर समिति की बैठक स्पष्ट रूप से एक भाग्यशाली कारक थी जिसे उस तारीख को तय करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता था जिससे संशोधित वेतनमान याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य होंगे। समिति की बैठक अध्यक्ष की मीठी इच्छा और किसी विशेष तारीख को सदस्यों की उपलब्धता पर निर्भर करती थी। बैठक की तारीख के रूप में संशोधित वेतनमान की प्रयोज्यता की तारीख तय करना लगभग टोपी से एक तारीख चुनने का पर्याय है और इसका याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान देने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख तय करके प्रतिवादियों ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिए गए समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख मनमानी, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। तदनुसार, उस तारीख को निरस्त कर दिया जाता है और 1 मई, 1990 को प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि यह वह तारीख है जो संकल्प अनुबंध पी-3 में उल्लिखित है और यही वह तारीख है जब अन्य सार्वजनिक उद्यमों के समान रूप से स्थित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया है।

(पैरा 23 & 24)

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता पीएस पटवालिया।*

राज पाल *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य
(जी. एस. सिंघवी, न्यायमूर्ति)

प्रतिवादी नंबर 1 से 3 के लिए रितु बाहरी, एएजी, हरियाणा।

निपुण मित्तल, प्रतिवादी नंबर 4 के वकील।

निर्णय

जी. एस. सिंघवी, न्यायमूर्ति

(1) इस याचिका में निर्धारण के लिए जो मुख्य प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या प्रतिवादी एक ही नियोक्ता / समान नियोक्ता के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए अलग-अलग तारीखें तय कर सकते हैं।

(2) याचिकाकर्ता राज पाल और अन्य, जो डिप्लोमा धारक हैं, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और ट्यूबवेल कोर पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) की सेवाओं में टर्नर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मोल्डर के रूप में काम कर रहे हैं। प्रतिवादी-निगम हरियाणा सरकार का उपक्रम है। प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल ने निगम की सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवाओं की शर्तों को विनियमित करने के लिए हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और नलकूप निगम लिमिटेड कर्मचारी सेवा उप-नियम, 1980 (इसके बाद 'उप-नियम' के रूप में संदर्भित) तैयार किया है। इन उपनियमों का भाग-V विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन ग्रेड, अनुलाभ, मानदेय, अवकाश नियम, कार्यभार ग्रहण करने का समय और यात्रा भत्ता आदि से संबंधित है। वेतन गे्रड से संबंधित उपनियमों के पैरा 5.1 में निम्नानुसार है -

"5.1 *वेतन ग्रेड:*

1. निगम में प्रत्येक पद के लिए वेतन का एक समयमान होगा।
2. वेतनमान बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन है, हालांकि, आमतौर पर हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर अपनाए गए पैटर्न का पालन करेगा।

(3) तकनीकी पदों के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त आयुक्त और सचिव द्वारा जारी दिनांक 26 जुलाई, 1991 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी निगम के निदेशक मंडल ने 17 दिसंबर, 1991 को आयोजित अपनी 104वीं बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया और उसमें विनिदष्ट तकनीकी पदों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। प्रस्ताव। इस संशोधन का लाभ 1 मई, 1990 से दिया जाना था। इस संकल्प की पुष्टि निदेशक मंडल ने 17 मार्च, 1992 को आयोजित अपनी 105वीं बैठक में की थी। लेकिन साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित वेतनमानों को निगम द्वारा लागू करने से पहले

औपचारिक अनुमोदन के लिए हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। लोक उद्यम संबंधी स्थायी समिति ने 7 दिसम्बर, 1992 को हुई अपनी बैठक में निगम की सेवा में विभिन्न तकनीकी पदों के संशोधित वेतनमानों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया लेकिन इन वेतनमानों को 7 अक्तूबर, 1992 से प्रभावी बना दिया। स्थायी समिति के निर्णय के अनुसरण में वित्तीय आयुक्त और सचिव, सरकार, हरियाणा, सिंचाई और विद्युत विभाग ने प्रतिवादी निगम के प्रबंध निदेशक को दिनांक 5 फरवरी, 1993 को पत्र अनुबंध पी 6 लिखा ताकि 7 अक्टूबर, 1992 से कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को संशोधित वेतनमान दिए जा सकें। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-निगम को अभ्यावेदन दिया, लेकिन निगम के प्रबंधन से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, उन्होंने 7 अक्टूबर, 1992 को संशोधित वेतनमानों को लागू करने की तारीख को रद्द करने और 1 मई, 1990 तक इसके प्रतिस्थापन के लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का यह दावा निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है: –

(i) पॉलिटेक्निक से आई.टी.आई. प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ मैट्रिक की अर्हताएं रखने वाले तकनीकी पदों के धारकों के लिए निर्धारित संशोधित वेतनमानों का लाभ 1 मई, 1990 से हरियाणा राज्य के विभिन्न अन्य निगमों के कर्मचारियों को दिया गया है और इसलिए, 7 अक्टूबर 1992 की तारीख तय करने का कोई तुक या कारण याचिकाकर्ताओं को इसी तरह का लाभ देने के लिए नहीं हो सकता ।

(ii) प्रतिवादी-निगम के कनिष्ठ अभियंताओं, जिन्हें पहले 1 जनवरी, 1993 से संशोधित वेतनमान दिए गए थे, को अब 1 जनवरी, 1992 से संशोधित वेतनमान दिए गए हैं, इस न्यायालय के दिनांक 1 सितंबर, 1994 के निर्णय के आलोक में 1 सितंबर, 1994 को अजमेर सिंह *बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में संशोधित वेतनमान दिए गए हैं।* इस न्यायालय के दिनांक 26 जुलाई 1993 के सिविल रिट याचिका संख्या 6788 में *भागीरथ राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* के एक निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। /

(iii) प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल को लोक उद्यम संबंधी स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, लोक उद्यम संबंधी स्थायी समिति के अवांछित संदर्भ के आधार पर, 1 मई, 1990 से याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमानों के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(4) प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत बचाव यह है कि सरकार द्वारा गठित लोक

उद्यमों पर स्थायी समिति पदों के सृजन और उन्नयन, उनके वेतनमानों, भर्ती के तरीके, सेवा के नियमों और शर्तों और राज्य सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित व्यय में मितव्ययिता को प्रभावित करने के लिए मौजूदा अनुदेशों से छूट वाले मामलों की जांच और निर्णय लेती है और इसलिए, प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल के लिए यह अनिवार्य था कि वह दिनांक 17 दिसंबर, 1991 के संकल्प में विनिर्दिष्ट श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए अपने संकल्प का अनुमोदन प्राप्त करे। इन प्रतिवादियों ने अनुरोध किया है कि स्थायी समिति ने प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल द्वारा 7 अक्टूबर, 1992 को पारित संकल्प को अनुमोदित करने का निर्णय लिया और इसलिए, 7 अक्टूबर, 1992 से प्रतिवादी-निगम के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया है। यह भी दलील दी गई है कि सार्वजनिक उद्यमों और राज्य सरकार के कर्मचारी समान रूप से स्थित नहीं हैं और इसलिए, 1 मई, 1990 से सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने के आधार पर, याचिकाकर्ता समान लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

(5) उसके द्वारा दायर एक अलग जवाब में, प्रतिवादी-निगम ने अनुरोध किया है कि सार्वजनिक उद्यमों पर स्थायी समिति के निर्णय को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को 7 अक्टूबर, 1992 से संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है। प्रतिवादी-निगम ने यह भी अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता उस लाभ के हकदार नहीं हैं जो 1 *सितंबर, 1994 के उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में दिनांक 19 अप्रैल, 1995 के आदेश* के तहत जूनियर इंजीनियरों को दिया गया है।

(6) प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने से पहले, हम रिट याचिका के पैराग्राफ 11 में किए गए कथनों का संज्ञान लेना आवश्यक समझते हैं जो निम्नानुसार हैं: –

"11. 7 अक्टूबर, 1992 से तकनीकी पदों के वेतनमान में संशोधन पूरी तरह से मनमाना और अवैध है और पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अधिसूचना के बाद, हरियाणा राज्य में विभिन्न अन्य निगमों में कार्यरत व्यक्तियों, जिनके पास आईटीआई प्रमाण पत्र / डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ मैट्रिक की योग्यता थी, को अधिसूचना, अनुबंध पी /2 के अनुसार 1 मई, 1990 से 1200-2040 रुपये का वेतनमान दिया गया था।

याचिकाकर्ता जो उन व्यक्तियों के समान स्थित हैं, वेतनमान देते समय भेदभाव किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वेतनमान केवल 7 अक्टूबर, 1992 से संशोधित किए गए हैं, जबकि अन्य निगमों के साथ-साथ हरियाणा राज्य के अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को 1 मई 1990 से समान लाभ दिया गया था। यह सुस्थापित कानून है जिसे भारत के माननीय

उच्चतम न्यायालय और इस माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय से तय किया गया है कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ वेतनमानों के संशोधन के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वेतनमान का संशोधन एक विशेष तिथि से प्रभावी बनाया जाना है और यह नहीं कहा जा सकता है कि कर्मचारियों के एक सेट को एक तारीख से वेतनमान दिया जाएगा और दूसरे समान रूप से स्थित कर्मचारियों को अगली तारीख से समान वेतनमान मिलेगा। इसलिए प्रतिवादियों को 7 अक्टूबर, 1992 के बजाय 1 मई, 1990 से 1200-2040 रुपये का वेतनमान देने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसमें ब्याज के साथ सभी परिणामी लाभ शामिल हैं।

(7) अपने जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उपरोक्त उद्धृत कथनों से इनकार नहीं किया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि स्थायी समिति की कार्रवाई मनमानी, अवैध, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है। अपने अलग जवाब में, प्रतिवादी-निगम ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कथनों का विरोध नहीं किया है। इसने केवल यह कहा है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दी गई मंजूरी को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है।

पार्टियों की दलीलों से, यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि: ---

(i) हरियाणा सरकार ने तकनीकी पदों को धारण करने वाले अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया और 1 मई, 1990 से संशोधन का लाभ दिया।

(ii) अन्य निगमों में तकनीकी पदों के धारकों को भी 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया है।

(iii) प्रतिवादी-निगम के कनिष्ठ अभियंताओं को भी 1994 की सिविल रिट याचिका संख्या 6756 में इस न्यायालय के दिनांक 1 सितम्बर, 1994 के निर्णय के आधार पर पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया है।

(8) उपर्युक्त के आलोक में, हम विचार करेंगे कि क्या 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमानों के लाभ से वंचित करके याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है। निगम की सेवा में तकनीकी पदों के धारकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख के रूप में 7 अक्टूबर, 1992 के निर्धारण को उचित ठहराने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत एकमात्र कारण यह है कि यह वह दिन है जिस दिन सार्वजनिक उद्यम ों पर स्थायी समिति ने प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल द्वारा संशोधित वेतनमानों का लाभ देने के लिए किए गए प्रस्ताव को मंजूरी देने

का निर्णय लिया था। निगम के कर्मचारी। प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख निर्धारित करने के लिए कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। प्रतिवादियों ने इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि निगम की सेवा में तकनीकी पदों के धारकों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के उद्देश्य पर 7 अक्टूबर, 1992 का कोई प्रभाव कैसे पड़ा है। इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में और इस तथ्य के अभाव में कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य निगमों में समान पदों पर रहने वाले कर्मचारियों को 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया है, हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क में पर्याप्त योग्यता पाते हैं कि तारीख 7 अक्टूबर, 2019 1992 न केवल मनमाना है, बल्कि पूरी तरह से तर्कहीन है। ऐसी तिथि निर्धारित करके समान रूप से स्थित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कृत्रिम समूहों में विभाजित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। यह राज्य को समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने से रोकता है। अनुच्छेद 16, जो अनुच्छेद 14 की प्रजातियों में से एक है, रोजगार के मामले में समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 में प्रयुक्त 'रोजगार' शब्द को उदार निर्माण प्राप्त हुआ है। यह नियुक्ति, सेवा की शर्तों और सेवानिवृत्ति के बाद के मुद्दों से संबंधित मामलों को अपने दायरे में लेता है। विभिन्न निर्णयों में इन दोनों अनुच्छेदों के दायरे और पहुंच की जांच की गई है और अनुच्छेद 14 और 16 में सन्निहित समानता के सिद्धांत और भाग-III में निहित अन्य सहायक प्रावधानों को व्यापक सामग्री और अर्थ देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित वर्गीकरण का सिद्धांत भी विकसित किया है। विशेष न्यायालय *विधेयक,* (1) में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के पिछले निर्णयों से निकले प्रस्तावों को पुन: प्रस्तुत किया। इनमें से कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं -

> "3. राज्य को अपने कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करने का संवैधानिक आदेश एक लक्ष्य निर्धारित करता है जो एक सटीक सूत्र के आविष्कार और अनुप्रयोग से प्राप्य नहीं है। इसलिए, वर्गीकरण को सटीक या वैज्ञानिक बहिष्करण या व्यक्तियों या चीजों को शामिल करके गठित करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों को किसी भी मामले में वर्गीकरण की वैधता निर्धारित करने के लिए भ्रामक सटीकता पर जोर नहीं देना चाहिए या व्यावहारिक परीक्षण लागू नहीं करना चाहिए। वर्गीकरण उचित है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है।

(1) ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 478

> (4) अनुच्छेद 14 की गारंटी में अंतर्निहित सिद्धांत यह नहीं है कि कानून के समान नियम भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों पर लागू होने चाहिए या

परिस्थितियों के मतभेदों के बावजूद उन्हें समान उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसका अर्थ केवल यह है कि समान रूप से परिस्थितिवशित सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और देनदारियों दोनों में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। समान कानून एक ही स्थिति में सभी पर लागू किए जाने चाहिए, और एक व्यक्ति और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि कानून की विषय वस्तु के संबंध में उनकी स्थिति काफी समान है।

(6) कानून समाज की जरूरतों और अनिवार्यताओं के अनुसार और अनुभव द्वारा सुझाए गए अनुसार वर्गों को अलग कर सकता है। यह बुराई की एक डिग्री को भी पहचान सकता है, लेकिन वर्गीकरण कभी भी मनमाना, कृत्रिम या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।

(7) वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात्, यह न केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत सभी व्यक्तियों में पाए जाने हैं और दूसरों में नहीं जो छूट गए हैं, लेकिन उन गुणों या विशेषताओं का कानून के उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (1) वर्गीकरण को एक समझदार भिन्नता पर स्थापित किया जाना चाहिए जो उन लोगों को अलग करता है जो दूसरों से एक साथ समूहीकृत हैं, और (2) कि भिन्नता का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।

(8) ***ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य*** (2), लॉर्डशिप ने समानता की अवधारणा को नए आयाम दिए और निम्नानुसार देखा गया: -

"प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से, समानता मनमानी के विरोधी है। वास्तव में, समानता और मनमानी कट्टर दुश्मन हैं; एक गणतंत्र में कानून के शासन से संबंधित है, जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और क्रोध से संबंधित है। जहां कोई अधिनियम मनमाना है, यह इसमें निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 16 राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करते हैं।

(2) ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 555

(10) ***मोहम्मद शुजात अली और अन्य* बनाम *भारत संघ और* अन्य** (3) में, उनके लॉर्डशिप ने वर्गीकरण के सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

(3) ए.आई.आर. 1974 ई.सी. 1631.

"अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण को सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 केवल अनुच्छेद 14 में निहित समानता की गारंटी का एक उदाहरण या घटना है; यह सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में समानता के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है। अनुच्छेद 16 में पाई जाने वाली समान अवसर की अवधारणा पदोन्नति और समाप्ति के माध्यम से नियुक्ति से लेकर ग्रेच्युटी और पेंशन के भुगतान तक किसी व्यक्ति के रोजगार के पूरे स्पेक्ट्रम में व्याप्त है और अवसर की समानता के आदर्श को अभिव्यक्ति देती है जो संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित महान सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों में से एक है। हालांकि, समानता और समान अवसर की संवैधानिक संहिता का मतलब यह नहीं है कि समान कानून सभी व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए। यह राज्य को "अपने सभी कानूनों को सामान्य कानून के चैनलों में चलाने" के लिए मजबूर नहीं करता है। यह स्वीकार करता है कि पुरुषों और चीजों के बीच मौजूद मतभेदों और असमानताओं के संबंध में, उन सभी को समान कानूनों के आवेदन से समान रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। "वास्तव में मौजूद चिह्नित मतभेदों को पहचानना जीवित कानून है; व्यावहारिक मतभेदों की उपेक्षा करना और कुछ अमूर्त पहचानों पर ध्यान केंद्रित करना निर्जीव तर्क है। ....

इस प्रकार हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जिस पर समानता की मांग वर्गीकृत करने के अधिकार का सामना करती है। क्योंकि यह वर्गीकरण है जो किसी कानून के विशेष बोझ या लाभ से प्रभावित व्यक्तियों की सीमा निर्धारित करता है जो सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। यह एक विरोधाभास को सामने लाता है। कानूनों का समान संरक्षण "समान कानूनों के संरक्षण की प्रतिज्ञा" है। लेकिन कानून वर्गीकृत कर सकते हैं। और, जैसा कि जस्टिस ब्रेवर द्वारा बताया गया है, "वर्गीकरण का विचार असमानता का है"। अदालत ने वर्षों से इस विरोधाभास का सामना किया है और ऐसा करते हुए, उसने न तो समानता की मांग को छोड़ा है और न ही वर्गीकृत करने के विधायी अधिकार से इनकार किया है। इसने यथार्थवादी सुलह का एक मध्य मार्ग अपनाया है। इसने उचित वर्गीकरण के सिद्धांत द्वारा

विधायी विशेषज्ञता और संवैधानिक व्यापकता की विरोधाभासी मांगों को हल किया है। यह सिद्धांत मानता है कि विधायिका कानून के उद्देश्य से वर्गीकृत कर सकती है लेकिन यह आवश्यक है कि वर्गीकरण उचित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों या चीजों के साथ समान व्यवहार किया जाए। किसी वर्गीकरण की तर्कसंगतता का माप समान रूप से स्थित लोगों के इलाज में इसकी सफलता की डिग्री है।...
एक उचित वर्गीकरण वह है जिसमें कानून के उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित सभी व्यक्ति या चीजें शामिल हैं। एक व्यक्ति या वस्तु और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यदि कानून की विषय वस्तु के संबंध में उनकी स्थिति काफी हद तक समान है। इसे कभी-कभी यह कहते हुए वर्णित किया जाता है कि समानता और समान अवसर की संवैधानिक संहिता के लिए यह आवश्यक है कि समान लोगों के बीच, कानून समान होना चाहिए और इस तरह के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।..
इस उद्देश्य के लिए जो परीक्षण विकसित किया गया है, वह यह है और इस परीक्षण को संविधान के प्रारंभ से सभी निश्चित मामलों में इस न्यायालय द्वारा लगातार लागू किया गया है कि वर्गीकरण को एक समझदार भिन्नता पर स्थापित किया जाना चाहिए जो कुछ व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो दूसरों से एक साथ समूहीकृत होते हैं और उस भिन्नता का कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।....................लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार सतर्क रहना होगा कि यह परीक्षा, जिसे व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में विकसित किया गया है, जटिल और विविध समस्याओं, जिनके समाधान की आवश्यकता विधायिका के हाथों की आवश्यकता है, के लिए आवश्यक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्देशित विशेष कानून की आवश्यकता के साथ समानता की मांग को सुलझाने की दृष्टि से विकसित किया गया है। जब भी किसी कानून की वैधता पर सवाल उठाया जाता है तो यह आंख मूंदकर और यंत्रवत रूप से लागू होने के लिए कठोर सूत्र में परिवर्तित नहीं होता है। मौलिक गारंटी कानूनों के समान संरक्षण की है और वर्गीकरण का सिद्धांत केवल अदालतों द्वारा विकसित एक सहायक नियम है जो उस गारंटी को समाज की व्यावहारिक आवश्यकताओं के साथ समायोजित करके एक व्यावहारिक सामग्री देने के लिए विकसित किया गया है और इसे डूबने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और समानता की बहुमूल्य गारंटी खींची जानी चाहिए।

वर्गीकरण के सिद्धांत को उस बिंदु तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहां एक उपयोगी सेवक होने के बजाय, यह एक खतरनाक स्वामी बन जाए, अन्यथा, जैसा कि **जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा *(4)*** *में चंद्रचूड़, जे द्वारा बताया* गया है, "समानता की गारंटी वर्ग कानून में डूब जाएगी, जो विभिन्न और विशिष्ट उपलब्धियों की विशेषता वाले अच्छी तरह से चिह्नित वर्गों को नियंत्रित करने के लिए बने कानूनों के रूप में है।

(4) 1974 (1) एस.सी.सी. 19, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1, 1974 लैब. आई.सी. 1.

(11) **डी *एस. नाकारा और अन्य* बनाम भारत *संघ*** (5), सिद्धांत इस प्रकार कहा गया है: –

"इस प्रकार, मौलिक सिद्धांत यह है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को निषिद्ध करता है, लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जो वर्गीकरण के दोहरे परीक्षणों को एक समझदार भिन्नता पर स्थापित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों या चीजों को उन लोगों से अलग करता है जिन्हें समूह से बाहर रखा गया है और उस भिन्नता का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे कानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

(5) ए.टी.एच. 1983 एस.सी. 130.

इस अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, अगला सवाल यह है कि तर्कसंगत सिद्धांत को सकारात्मक रूप से स्थापित करने का बोझ किस पर है, जिस पर वर्गीकरण की स्थापना की गई है, जो उस वस्तु से संबंधित है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है? अनुच्छेद 14 का जोर यह है कि नागरिक कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है। चीजों की प्रकृति में, समाज असमान ों से बना है, एक कल्याणकारी राज्य को कार्यकारी और विधायी कार्रवाई दोनों द्वारा प्रयास करना होगा ताकि समाज में कम भाग्यशाली लोगों को उनकी स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सके ताकि समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को पाटा जा सके। इसके लिए नागरिकों के एक समूह पर लागू होने वाले कानून की आवश्यकता होगी जो अन्यथा असमान है और जिनके बहुत कुछ राज्य सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य है। वर्गीकरण के सिद्धांत के अभाव में

इस तरह के कानून के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के आधार पर लड़खड़ाने की संभावना है। न्यायालय ने वास्तविक रूप से सामाजिक स्तरीकरण और आर्थिक असमानता का मूल्यांकन किया और उन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिन पर राज्य की कार्रवाई संविधान के भाग IV में संवैधानिक रूप से निर्धारित होनी चाहिए, वर्गीकरण का सिद्धांत विकसित किया। यह सिद्धांत समाज के कमजोर वर्गों या समाज के कुछ ऐसे वर्गों की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए कानून या राज्य कार्रवाई को बनाए रखने के लिए विकसित किया गया था, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। विधायी और कार्यकारी कार्रवाई तदनुसार जारी रखी जा सकती है यदि यह उचित वर्गीकरण के दोहरे परीक्षणों को संतुष्ट करती है और तर्कसंगत सिद्धांत प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु से संबंधित है। इसलिए, राज्य को न्यायालय को सकारात्मक रूप से संतुष्ट करना होगा कि दोहरे परीक्षण संतुष्ट हो गए हैं। यह केवल तभी संतुष्ट हो सकता है जब राज्य न केवल तर्कसंगत सिद्धांत स्थापित करता है जिस पर वर्गीकरण स्थापित किया जाता है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए मांगी जाने वाली वस्तुओं से संबंधित करता है। यह दृष्टिकोण **रमन्ना दयाराम शेट्टी बनाम** ***भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण*** (1979) 3 एससीआर 1014 पृष्ठ 1034 पर: (एआईआर 1979 एससी 1628 पृष्ठ 1637-38 पर) पृष्ठ 1034 पर। न्यायालय ने कहा कि सरकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई को तब तक रद्द किया जा सकता है, जब तक कि सरकार द्वारा यह नहीं दिखाया जा सकता है कि प्रस्थान मनमाना नहीं था, बल्कि कुछ वैध सिद्धांत पर आधारित था जो अपने आप में तर्कहीन नहीं था, अनुचित या भेदभावपूर्ण।

(12) कटऑफ तिथि के निर्धारण को चुनौती देने वाले विशिष्ट मामलों को अब संदर्भित किया जा सकता है।

(13) **डी. आर.** ***निम*** **बनाम** ***भारत संघ*** (6), वरिष्ठता के निर्धारण को अपीलकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उस अवधि की गणना के लिए मनमानी तारीख तय करके वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से उसकी कार्य अवधि को बाहर रखा गया था। लॉर्डशिप ने 19 मई 1951 को कटऑफ तारीख के रूप में तय करने के लिए जवाबी हलफनामे में दिए गए कारण पर विचार किया और देखा:

(6) ए.आई.आर. 1967, एस.सी. 1301.

"सरकार के मामले के उपरोक्त बयान से पता चलता है कि 19 मई, 1951 की तारीख एक कृत्रिम और मनमानी तारीख थी, जिसका नियम 3 (3) के पहले और दूसरे परंतुक के आवेदन से कोई लेना-देना नहीं था। हमें ऐसा प्रतीत

होता है कि नियम 3(3) के दूसरे परंतुक के तहत किसी विशेष अधिकारी के कार्य करने की अवधि पर केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग के परामर्श से विचार किया जाना है और अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाना है।

केंद्र सरकार किसी तारीख का चयन नहीं कर सकती है और ऐसा लगता है कि इस मामले में ऐसा ही किया गया है और यह नहीं कह सकती है कि उस तारीख से पहले की अवधि को दूसरे प्रावधान के भीतर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं माना जाएगा।

(14) **जगदीश पांडे** ***बनाम*** **चांसलर,** ***बिहार विश्वविद्यालय और अन्य*** *(7) मामले* में, *बिहार* राज्य विश्वविद्यालय (बिहार विश्वविद्यालय, भागलपुर और रांची) (संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 4 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। यहां तक कि कटऑफ तिथि के निर्धारण को बरकरार रखते हुए धारा 4 के प्रावधान, जो 27 नवंबर, 1961 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों के एक विशेष वर्ग पर लागू किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:-

7. ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 353.

पीठ ने कहा, "हम पहले इस बात पर विचार करेंगे कि क्या धारा चार *संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर* है। इस संबंध में पहला आधार यह है कि धारा 4 में उल्लिखित तारीखें पूरी तरह से मनमानी थीं और इसलिए, धारा की वैधता को बरकरार रखने के लिए कोई वैध वर्गीकरण नहीं था। *इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि तारीखें मनमानी हैं, तो धारा* 4 *अनुच्छेद 14* का उल्लंघन करेगी, *क्योंकि तब इन तारीखों के बीच नियुक्त या बर्खास्त किए गए शिक्षकों के एक वर्ग को अलग करने और उन पर धारा 4 लागू करने का कोई औचित्य नहीं होगा, जबकि बाकी* उस धारा के दायरे *से बाहर होंगे।*

(14) ***जैला सिंह और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य*** *(*8), राजस्थान औपनिवेशीकरण से पहले की राजस्थान नहर परियोजना अस्थायी किरायेदार सरकारी भूमि आवंटन) शर्तों, 1971 की शर्त संख्या 3 की वैधता और राजस्थान औपनिवेशीकरण (1955 के बाद अस्थायी खेती पट्टा धारकों और राजस्थान काना 1 परियोजना क्षेत्र में अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी भूमि का

आवंटन) नियम, 1971 के नियम 3 (2) को चुनौती दी गई थी। नियमों का पालन करते हुए, उनके लॉर्डशिप ने कहा: –

8. ए.आई.आर. 1975, एस.सी. 1436

1955 से पहले की शर्तों और 1955 के बाद के नियमों और 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुए राजस्थान टेनेंसी एक्ट के बीच कोई संबंध नहीं है। शर्तों और नियमों की वैधता के बारे में सवालों को तय करने में राजस्थान किरायेदारी अधिनियम की धारा 15 और 15 ए का संदर्भ पूरी तरह से अप्रासंगिक है। भूमि के कब्जे की लंबाई 1955 से पहले और 1955 के बाद के किरायेदारों के बीच अंतर के लिए कोई उचित मानदंड प्रदान नहीं करती है।

1955 से पहले और 1955 के बाद के किरायेदारों के बीच कब्जे की अवधि में अंतर इस हद तक नहीं है कि 1955 के बाद के किरायेदारों की तुलना में 1955 से पहले के किरायेदारों को बड़ी मात्रा में भूमि के आवंटन को उचित ठहराया जा सके और न ही 1955 से पहले के किरायेदारों के बीच 25 बीघा से अधिक और 25 बीघा से कम रखने वालों के बीच भेदभाव किया जा सके।

1955 से पहले और 1955 के बाद के किरायेदारों के बीच कीमत के मामले में कुछ भेदभाव प्रतीत होता है, जिसमें 1955 से पहले के किरायेदारों, जिनके पास 25 बीघा से अधिक भूमि है, को 25 बीघा तक की भूमि के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है, जबकि 1955 के बाद के किरायेदारों, जिनके पास 15 बीघा से कम भूमि है, को भूमि के लिए कीमत का भुगतान करना पड़ता है जो उन्हें आवंटित किया जा सकता है ताकि 22 बीघा बनाया जा सके।

(15) ***भारत सरकार और अन्य बनाम मैसर्स धनलक्ष्मी पेयर एंड बोर्ड मिल्स, त्रिचिरुपाली*** (9) ने 9 नवंबर, 1963 को रियायती दर पर शुल्क देने की पात्रता की तारीख के रूप में निर्धारित करने को संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने करदाता के दावे को सही ठहराया और रियायती दर देने के लिए तय तारीख को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता की ओर से ***भारत संघ बनाम मेसर्स परमेश्वरन मैच वर्क्स आदि*** (10) *में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया था।, जगदीश पांडे बनाम कुलाधिपति, बिहार विश्वविद्यालय* (उपर्युक्त) और ***उ0 प्र0 महाविद्यालय तार्थ शिक्षक नियामिति- करण अभियान समिति, वाराणसी बनाम . यूपी राज्य और अन्य*** (11)तारीख के निर्धारण का समर्थन करने *के लिए*। विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर ध्यान देने के बाद, लॉर्डशिप ने कहा: –

9. ए.आई.आर. 1989, एस.सी. 665.
10. ए.आई.आर. 1974, एस.सी. 2349.
11. ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1772

बयान में कहा गया है, 'मौजूदा मामले में भी रियायती दर का लाभ करदाताओं के पूरे समूह को दिया गया था और परंतुक (3) के खंड (ए) के तहत समूह को अधिसूचना के उद्देश्य से तर्कहीन संबंध रखने वाले किसी भी अंतर को अपनाए बिना दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, और एक वर्ग को लाभ वापस ले लिया गया था जबकि इसे दूसरे के पक्ष में बनाए रखा गया था। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि विचाराधीन अधिसूचना के परंतुक (3) का आक्षेपित खंड (ए) प्रतिवादियों सहित पूरे समूह के लिए उपलब्ध है।

(16) हम कुछ फैसलों का भी उल्लेख कर सकते हैं जिनमें निर्धारण तिथि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। *भारत संघ बनाम मैसर्स परमेश्वरन मैच वर्क्स आदि।* (उपर्युक्त) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 1967 की अधिसूचना की वैधता को दी गई चुनौती पर विचार किया, जिसके द्वारा शुल्क की रियायती दर का लाभ उन छोटे विनिर्माताओं तक सीमित था जिनकी कुल स्वीकृति 75 मिलियन मैचों से अधिक होने का अनुमान नहीं था। प्रतिवादी ने 5 सितंबर, 1967 को मैचों के निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया। इसने 4 सितंबर, 1967 के रूप में कटऑफ तिथि तय करके मैचों के निर्माताओं के बीच किए गए वर्गीकरण को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने भेदभाव की दलील को स्वीकार कर लिया। उच् च न् यायालय के निर्णय को पलटते हुए उच् चतम न् यायालय ने निम् नलिखित टिप्पणी की :-

"वर्गीकरण के आधार के रूप में तारीख के चयन को हमेशा मनमाना नहीं कहा जा सकता है, भले ही चयन के लिए कोई विशेष कारण सामने न आए जब तक कि यह परिस्थितियों में मनमौजी या सनकी न दिखाया जाए। जब यह देखा जाता है कि एक रेखा या एक बिंदु होना चाहिए और इसे ठीक से ठीक करने का कोई गणितीय या तार्किक तरीका नहीं है, तो विधायिका या उसके प्रतिनिधि के निर्णय को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि हम यह नहीं कह सकें कि यह उचित निशान से बहुत व्यापक है।

(17) इस निर्णय को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुल्क

की रियायती दर देने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जो उद्योग में छोटी इकाइयों को बड़े लोगों द्वारा प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए था और सोचा कि यदि विखंडन के उपकरण को अपनाने से बड़ी इकाइयां रियायत की अंतिम लाभार्थी बन सकती हैं तो यह उद्देश्य निराश हो सकता है।

(19) **डी.सी. *गौस एंड कंपनी (एजेंट) प्राइवेट लिमिटेड* बनाम *केरल राज्य और अन्य*** (12), भवन कर लगाने के लिए 1 अप्रैल, 1973 की तारीख के निर्धारण को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए बरकरार रखा था कि याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि तारीख का चयन उचित निशान से व्यापक कैसे था। इस दृष्टिकोण को लेने में, उनके लॉर्डशिप इस तथ्य से प्रभावित थे कि पहले के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर लगाए गए को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जून 1973 में कर लगाने के लिए एक नया विधेयक पेश किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम 1 अप्रैल, 1970 से लागू किया जाएगा, लेकिन जब अधिनियम विधायिका द्वारा पारित किया गया, तो तारीख 1 अप्रैल, 1973 तय की गई।

(12) ए.आई.आर. 1980, एस.सी. 271

(20) **राजस्थान राज्य और अन्य *बनाम* गोपालदास** (13) मामले में, सचिवालय के अपर डिवीजन क्लर्कों को अलग-अलग वेतनमान देने को बरकरार रखा गया था। संशोधित वेतनमान राजस्थान राज्य में 1 सितंबर, 1981 से लागू किए गए थे। सचिवालय के अपर डिवीजन क्लर्कों का वेतनमान 440-775 रुपये से बढ़ाकर 610-1090 रुपये और अधीनस्थ कार्यालयों के अपर डिवीजन क्लर्कों का वेतनमान 385-650 रुपये से बढ़ाकर 520-925 रुपये किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें सचिवालय के यूडीसी के समान उच्च वेतनमान से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। इस मांग को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 23 जनवरी, 1985 की अधिसूचना के माध्यम से अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी को 1 फरवरी, 1985 से उच्चतर संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी को केवल 1 फरवरी, 1985 से उच्च वेतनमान देना मनमाना और असंवैधानिक था। उनके लॉर्डशिप ने कहा कि 1 सितंबर, 1981 से अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण अस्थिर थे क्योंकि अधीनस्थ कार्यालयों और सचिवालय के यूडीसी के वेतनमानों में पहले से ही अंतर था और सरकार ने विसंगति और उच्च न्यायालय को दूर करने के उद्देश्य से अधीनस्थ कार्यालयों के यूडीसी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया था। न्यायालय इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि 23 जनवरी, 1985 की अधिसूचना जारी करने का तथ्यात्मक आधार अन्य पदों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने के लिए जारी 14 अधिसूचनाओं से पूरी तरह से अलग था।

(13) 1995 (1) एस.एल.आर. 600.

(21) **डॉ. पी.** ***एन. पुरी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** (14), उनके लॉर्डशिप ने सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर 7 नवंबर, 1994 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने को बरकरार रखा।

(22) पिछले दो निर्णयों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को विशेष तिथि से संशोधित वेतनमान का लाभ देने के सरकार के निर्णय से संतुष्ट महसूस किया और इसलिए, इसे बरकरार रखा।

(23) इसलिए, वर्तमान मामले में यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम हैं कि उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख का निर्धारण मनमाना या उचित निशान से व्यापक है।

(14) जे.टी. 1996 (2) एस.सी. 472.

बार-बार दोहराने की कीमत पर हम उल्लेख कर सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमान के लाभ का दावा इस आधार पर किया है कि अतीत में उनके वेतनमान ों को हरियाणा सरकार के कर्मचारी के समान संशोधित किया गया है और इस आधार पर भी कि संशोधित वेतनमान का लाभ 1 मई 1990 से अन्य सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को दिया गया है। प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 1992 निर्धारित करने का एकमात्र कारण यह है कि लोक उद्यम संबंधी स्थायी समिति की बैठक 7 अक्तूबर, 1992 को उत्तरदाता-निगम के निदेशक मंडल द्वारा तकनीकी पदों पर आसीन कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान ों का लाभ देने के लिए पारित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हुई। प्रतिवादियों द्वारा यह नहीं कहा गया है कि निगम वित्तीय तंगी या किसी अन्य व्यावहारिक कारण के कारण 1 मई, 1990 से याचिकाकर्ताओं की तरह कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का भुगतान करने में असमर्थ है। इस वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख का निर्धारण स्पष्ट रूप से मार्जिन से व्यापक है और पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है। प्रतिवादियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अन्य निगमों के कर्मचारियों को 1 मई, 1990 से संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया है और पिछले सभी अवसरों पर प्रतिवादी-निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के पैटर्न पर संशोधित वेतनमान दिए गए हैं। एक विशेष तारीख पर समिति की बैठक स्पष्ट रूप से एक भाग्यशाली कारक थी जिसे उस तारीख को तय करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता था जिससे

संशोधित वेतनमान याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य होंगे, समिति की बैठक अध्यक्ष की मीठी इच्छा और किसी विशेष तारीख पर सदस्यों की उपलब्धता पर निर्भर करती थी। बैठक की तारीख के रूप में संशोधित केवाई स्केल की प्रयोज्यता की तारीख तय करना लगभग टोपी से एक तारीख चुनने का पर्याय है और इसका याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान देने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं को संशोधित वेतनमान का लाभ देने के लिए 7 अक्टूबर, 1992 की तारीख तय करके प्रतिवादियों ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिए गए समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।

(24) उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, हम उस याचिका को स्वीकार करते हैं और घोषित करते हैं कि अनुलग्नक पी-5 और पी-6 में दर्शाई गई दिनांक 7 अक्तूबर, 1992 मनमानी, तर्कहीन और भेदभावपूर्ण तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाली है। तदनुसार, उस तारीख को निरस्त कर दिया जाता है और 1 मई, 1990 को प्रतिस्थापित किया जाता है क्योंकि यह वह तारीख है जो संकल्प अनुबंध पी-3 में उल्लिखित है और यही वह तारीख है जब अन्य सार्वजनिक उद्यमों के समान रूप से स्थित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया है। प्रतिवादी-निगम को इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें 1 मई, 1990 से याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाता है। इस तरह के संशोधित वेतन निर्धारण के आधार पर याचिकाकर्ताओं को देय बकाया राशि का भुगतान अगले चार महीनों के भीतर किया जाएगा। लागत आसान हो गई।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी